कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोरखपुर/कुशीनगर।

पत्रांकः एफ0एस0/निरीक्षण/04 (पेट्रोल पम्प)/2018

दिनांकःनवम्बर, 26,2021

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद–कुशीनगर।

विषयः– My Owe Eco Energy Pvt LTD के रेफरेंस सं0 mee/up/1321-22 द्वारा Approval of NOC For the Proposed MEE (Renewable diesel) Filling Station (Retail Outlet)/(पेट्रोल टंकी) ग्राम–छपरा भगत तसहील हाटा जनपद कुशीनगर के प्लाट नं0–2 मी0, 31 जो एन0एच0 27 पुराना नाम एन0एच 28 रोड़ पर स्थित है जो (लीज) पर श्री नर्वदेश्वर पाण्डेय पुत्र हरिवंश पाण्डेय, निवासी ग्राम छपरा, भगत तप्पा बछौली, परगना शाहजहांपुर तहसील हाटा जिला कुशीनगर द्वारा श्री सरफराज अहमद शेख पुत्र आफताब शैंख निवासी भारतीय कमला नगर, बडाला मुम्बई (महराष्ट्र) हाल मुकाम जैतपुरा पोस्ट जैतपुरा तहसील सलेमपुर जिला देवरिया उ0प्र0 द्वारा रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु स्थलीय निरीक्षण तथा अगल–बगल पेट्रोल पम्प की दूरी का आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संन्दर्भः– आपका पत्र संख्याः 1171(6)/शस्त्र अनुभाग–2021 दिनाकः12,अक्टूबर,2021।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक में उक्त प्रस्तावित चीप डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर गोरखपुर की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये गये मानचित्र के अनुसार अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण एंव सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैं–

1–प्रस्तावित स्थल ग्राम–छपरा भगत एन0एच0 27 पर स्थित हैं।
2–प्रस्तावित स्थल मानचित्र के अनुसार क्षेत्रफल–1225 वर्ग मीटर हैं।
3–प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाइन नही गुजरी हैं।
4–प्रस्तावित स्थल के आस–पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नही पाया गया।
5–परिसर के तीन तरफ 1.80 मीटर ऊँची ब्रिकवाल प्रस्तावित हैं।
6–सम्बन्धित ईकाई एन0बी0सी0 की श्रेणी–G-3 हाई हैजार्ड के अन्तर्गत आता हैं।
7–परिसर में प्रवेश/निकास हेतु 09.00 मी0 एवं 09.00 मीटर चौडाई के दो अलग–अलग गेट प्रस्तावित हैं।
8–प्रस्तावित स्थल ग्राम–छपरा भगत से गोरखपुर के तरफ जाने पर लगभग 2 कि0मी0 (वाये तरफ) दूर तथा कसया के तरफ जाने पर लगभग 4 कि0मी0 (वाये तरफ) दूरी पर पेट्रोल पम्प स्थापित हैं।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1–कैनापी का निर्माण अस्थायी संरचना के रूप में अनुमन्य होगा जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 06 मीटर से कम न हो।
2–न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मीटर से कम न हो।
3–सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस–2148–1646 के मानको के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0बी0/ई0 एल0सी0बी0 का प्रयोग किया जायें।
4–प्रत्येक टैंक के लिये अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुड़ी नही होनी चाहिए एवं ऊँचाई 4 मीटर होनी चाहिए तथा उसके चारो तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नही होना चाहिए ।
5–वेन्ट पाइप पेट्रोलियम अधिनियम 2002 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
6–टैंक में तेल भरते समय टैंक, डिस्पेन्सर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वार्जित हैं।

क्रमशः02 पर

7–लारी से टैंक में तेल भरते समय Proper Earthingh होना चाहिए।
8–स्टोरेज टैंक के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 08 अदद मै स्टैण्ड रखी जायें।
9–प्रत्येक डिस्पेन्सर/अण्डर गाउण्ड टैंक के पास आई0एस0 मार्का फायर एक्सटिंग्यूशर समस्त अग्निशमन उपकरण एवं रख–रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।
10–पेट्रोल पम्प पर Lighting Arrestor होना चाहिए।
11–लाइसेन्स एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटे फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।
12–इमरजेन्सी प्लान/कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग O.I.S.D.225 के अनुसार होना चाहिए।
13–इमरजेन्सी प्लान के बोर्ड भी लगे होने चाहिए।
14–केबिल्स ग्लेन्डिंग के साथ होना चाहिए।
15–इलेक्ट्रिकल रूम में Proper Ventilation होना चाहिए।
16–पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए।
17–फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0–101, 112, 9454418801, 9454418802, और जिला कंट्रोल रूम को मो0 नं0–9454417371 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।
18–प्रस्तावित स्थल पर समरसेबुल पम्प 5000 ली0 टैंक के साथ लगाया जाना आवश्यक हैं।
19–ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्नाकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें।
(अ) तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बन्द कर लें।
(ब) धूम्रपान न करें। (स) मोबाइल फोन बन्द रखे।

निम्नाकिंत का बोर्ड डिसपेन्सर के पास लगायें।

क्या करें	क्या न करें
1–मोबाइल फोन बन्द रखें।	1–वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करे, जब तक वाहन के टैंक से नोजुल अलग न हो जायें।
2–तेल भरते समय वाहन का इंजन बन्द रखें।	2–धूम्रपान न करें।
3–सुनिश्चित कर ले कि डिस्पेन्सर के पार अग्निशमन यंत्र रखे हुए हैं।	3–खुली आग का प्रयोग न करें।
4–तैल रिसाव/ आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबाये।	4–लारी से तेल टैंक में तेल भरते समय वाहनों में तेल न भरे

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम अधिनियम 2002 तथा O.I.S.D.225 में उल्लेखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने की शर्त के साथ निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित प्रेषित हैं। उपरोक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओ का पालन न किये जाने पर आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

26/11/2021

(डी0 के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर/कुशीनगर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर/कुशीनगर

प्रतिलिपिः–1–जिलापूर्ति अधिकारी को कृपया इस अनुरोध के साथ की My Owe Eco Energy Pvt LTD फिलिंग स्टेशन पेट्रोल विक्रय हेतु अनुमति प्रदान करने पूर्व अग्निशमन विभाग से अग्निशमन यंत्रों की कार्याशीलता का प्रमाण–पत्र आवश्य प्राप्त कर लें।
2–अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, कुशीनगर, जनपद–कुशीनगर को सूचनार्थ एवं सम्बन्धित पत्रावली पर रखने हेतु।
3–प्रोपराइटर को इस आशय से कि रिटेल आउट लेट की स्थापना के पश्चात चालू करने से पूर्व अग्निशमन यंत्रों की कार्याशीलता इस कार्यालय से अवश्य प्रमाणित करा लें।

MY OWN ECO ENERGY PVT. LTD.
16/6/22